न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

दिनांक : 21/07/25

क्रमांक / कोर्ट / 2025 / 910

तहसीलदार,
तहसील, रामपुरा डाबडी,
जिला जयपुर।

विषय :–प्रकरण संख्या 54 / 2022 बउनवानी लच्छूराम बनाम कानाराम वगै0 में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 16.07.2025 की पालना बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रकरण संख्या 54 / 2022 बउनवानी लच्छूराम बनाम कानाराम वगै. में निर्णय व अंतिम डिक्री दिनांक 16.07.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो आप नियमानुसार निर्णय एवं डिक्री की पालना कर पालना रिपोर्ट अतिशिघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः–1. प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 16.07.2025
2. नजरी नक्शा।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm.amer.jpr@gmail.com

भूमि आम्बेर प्र. ७०७४

फर्द अहकाम

लच्छूराम बनाम कानाराम

नाम न्यायालय SDO

केस संख्या 54/22

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	9/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी ने बहस हेतु समय चाहा आगामी तारीख पेशी पर बहस नहीं करने पर गुणावगुण के आधार पर निर्णय किया जायगा। पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 15/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	15/7/25	पत्रावली पेश हुई। दी डिस्ट्रिक्ट एड बार एसो. जयपुर द्वारा कार्य स्थगित किए जाने से पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 16/7/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
	16/7/2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकीलवादी की आपत्ति कुर्रेजात पर बहस सुनी गई। आपत्ति खारिज की जाकर तहसीलदार सांगानेर जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात के आधार पर वाद डिक्री किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया गया। पत्रावली फिस्ल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

तहरीरकर्ता
प्र० १०
21/7/25

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)
पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या – 54/2022 वाद प्रस्तुति दिनांक – 11.05.2022

लच्छूराम पुत्र श्री भूरा जाति अहीर निवासी चतरपुरा रोड खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

........वादी

बनाम

1. कानाराम पुत्र छोटूराम
2. गोपाल लाल पुत्र भूरा
3. हनुमान पुत्र प्रभात
4. जगदीश पुत्र प्रभात
5. नाथूराम पुत्र प्रभात
6. मंगल पुत्र प्रभात
7. प्रकाश पुत्र सोनाराम
8. बोदूराम पुत्र सोनाराम
9. भगवान सहाय पुत्र सोनाराम
10. रमेश पुत्र सोनाराम
11. रामचन्द्र पुत्र सोनाराम
12. लक्ष्मण पुत्र सोनाराम
13. श्रवण पुत्र सोनाराम
14. प्रकाश चन्द पुत्र कालूराम
15. राजेश पुत्र कालूराम

समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।

16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

<u>वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955</u>

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

दिनांक 16.07.2025

हस्तगत वाद पत्र में वादी द्वारा अंकित किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 2.40 हैक्टेयर वाके ग्राम शु[illegible] पटवार हल्का खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर में स्थित हैं, जो [illegible] वाद पत्र के मद संख्या 1 में वर्णित वादग्रस्त आराजीयात वादी एवं [illegible] की भूमियां है जिसमें वादी का 1/15 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का [illegible]जस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज व अंकित है। वादग्रस्त आराजी को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 15 बाहमी रजामंदी से काबिज होकर काश्त कर एवं प्राकृतिक उपज उपयोग एवं उपभोग कर लाभान्वित होते एवं सरकारी लगान अदा करते चले आ रहे हैं। वादग्रस्त आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

सहखातेदारी की कृषि भूमि है जिसका अभी तक कानूनी रूप से विभाजन नही हुआ हैं। वादग्रस्त आराजी को प्रतिवादीगण बिना विभाजन कराये ही विक्रय व हस्तान्तरण कर मनचाहे स्थान पर अच्छी–अच्छी जमीन पर कब्जा करने एवं वादी को उनके कब्जे काश्तकी भूमि से बेदखल करने पर आमादा व तत्पर हैं। जिस क्रम में प्रतिवादीगण दिनांक 23/4/2022 को कुछ अनजान व्यक्तियों को साथ लेकर वादग्रस्त भूमि पर आये जो जमीन को विक्रय करने की बाते कर रहे थे। वादी ने प्रतिवादीगण को कानूनी रूप से विभाजन कराकर भूमि विक्रय करने हेतु कहा तो प्रतिवादीगण ने मना कर दिया प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 15 बिना विभाजन के ही वादग्रस्त आराजी में निहित अपने हिस्से की आराजी को विक्रय कर वादग्रस्त आराजी में अच्छी अच्छी जमीनों पर कब्जा कराने व उन पर भूखण्ड काटकर निर्माण करने एवं उस पर कॉलोनी विकसित करने पर आमादा व तत्पर है। जिसका उनको कोई अधिकार नहीं हैं। वादी वादग्रस्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराने एवं प्रतिवादीगण को प्रार्थनीय निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने के अधिकारी हैं।

वाद प्रस्तुति के उपरान्त प्रकरण नियमानुसार दर्ज पंजिका किया गया तथा तलबी प्रतिवादीगण आदेशित किया गया।

प्रतिवादी संख्या 7 ता 14 बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 07.07.2022 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 6, 15 भी बावजूद तामील नोटिस अनुपस्थित रहने पर दिनांक 05.04.2023 को एकपक्षीय कार्यवाही की गई। वादी का वाद बाई मीटस एंड बाउंडस के आधार पर प्राथमिक डिक्री किया गया तदनुसार तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को निर्देशित किया गया कि वे राज0 टीनेन्सी (बोर्ड ऑफ रेवेन्यू) रुल्स के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए वाके राजस्व ग्राम शुभरामपुरा पटवार हल्का खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर स्थित आराजी खसरा नम्बर 40 रकबा 2.40 हैक्टेयर भूमि का बाई मीट्स एंड बाउंड्स के आधार पर तकासमा कर जमाबंदी में अंकित हिस्से अनुसार कुर्रेजात रिपोर्ट मय नक्शा तीन प्रतियों में भिजवाने हेतू आदेशित किया गया।

दिनांक 26.04.2024 को वादी द्वारा अन्य वादपत्र संख्या 55/2022, 56/2022 एवं 57/2022 बउनवानी लच्छूराम बनाम गोपाल, लच्छूराम बनाम गोपाल, लच्छूराम बनाम गोपाल जोकि पूर्व में प्राथमिक डिक्री किये जा चुके थे उन सब की कुर्रेजात रिपोर्ट एकजाई मंगवाने हेतू प्रार्थना पत्र पेश किया गया था तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार होने के उपरान्त सभी पत्रावलीयों में अंकित खातो की एकाजाई कुर्रेजात भिजवाने हेतु तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को आदेशित किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार रामपुरा डाबडी ने अपनी रिपोर्ट क्रमांक/भू0अ0/2025 /1763 दिनांक 16.05.2025 के द्वारा कुर्रेजात प्रस्ताव तैयार कर प्रेषित किये गये। उभयपक्ष को बहस कुर्रेजात हेतू अवसर दिया गया। वादी अधिवक्ता द्वारा आपत्ति प्रार्थना पत्र पेश किया गया। बहस आपत्ति सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने जाहिर किया की

सहायक कलक्टर
आमेर प्र. जयपुर

कुर्रेजात तैयार करते समय वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य सहमति हुई थी कि सभी पक्षों के जमीन एक जगह दी जावेगी। जिस पर वादी सहमत थे, तत्पश्चात समझौते के तहत वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 3 लगायत 6 से खसरा नम्बर 37 में लगभग 0.0325 हैक्टेयर भूमि का हक त्याग करवा लिया गया था वादी द्वारा उक्त ग्राम शुभरामपुरा जयपुर स्थित भूमि का हकत्याग किया गया था। प्रतिवादी संख्या 3 लगायत 6 का हकत्याग का नामान्तकरण खुल गया लेकिन वादी का नामान्तकरण प्रतिवादी संख्या 6 मंगल के हिस्से में रहन होने से नही खुल सका जिस कारण से कुरैजात रिपोर्ट मे शामिल नहीं किया गया जिससे वादी की खसरा नम्बर 37 में लगभग 0.0325 हैक्टेयर भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे इन्द्राज नहीं होने से वादी के अधिकारो का कुठाराधात होगा इसलिए कुर्रेजात पुनः मंगवाई जावे।

प्रस्तुत तर्कों, कुर्रेजात रिपोट एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर द्वारा प्रस्तुत कुर्रेजात रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि उपरोक्त आराजी मे उभयपक्ष को अपने हिस्सेनुसार विभाजन प्रस्ताव में हिस्सा दिया गया है तथा पक्षकारान को उनके हिस्सेनुसार रास्ते की ओर समुचित व्यवस्था करते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार कर विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है। वादी द्वारा उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट के संबंध में कोई न्याय संगत ऐतराज प्रस्तुत नहीं किया कि किसी भी पक्षकार को उसके हिस्से से अधिक भूमि दिया जाना प्रस्तावित किया हो अथवा रास्ते की समुचित व्यवस्था नही हों। इसके अतिरिक्त वादी ने जो आपत्तियां पेश की है वह उक्त वादपत्र के अनुतोष से ही भिन्न है वाद बंटवारे का है जिसका विधिवत बंटवारा किया जा रहा है। अतः ऐसी सुरत में वादी की आपत्ति स्वीकार योग्य प्रतीत होती है।

अतः तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर चारो दावो को निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है :–

1. कानाराम पुत्र छोटूराम हि. संपूर्ण जाति अहीर, सा. देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर के हिस्से खसरा नंबर 40/1 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. लच्छूराम पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति अहीर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 38/2 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 39/2 रकबा 0.3184 हैक्टेयर, 40/5 रकबा 0.1084 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6768 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. भगवान सहाय पुत्र सोनाराम हि. 1/[illegible] हि. 1/7 राहिन एचडीएफसी बैंक चौमूं, श्रवणलाल पुत्र सोनाराम हि. 1/7 [illegible] एक्सीस बैंक चौमू, बोदूराम पुत्र सोनाराम हि. 1/7 राहिन एक्सीस [illegible] सोनाराम हि. 1/7, रमेश पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/7, लक्ष्मण पुत्र सोनाराम हि. 1/[illegible] राहिन पीएनबी शाखा बोयतावाला जयपुर समस्त जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 38/1 रकबा 1.8080 हैक्टेयर, 40/3 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.9080 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर

4. जगदीश हि. 1/4, हनुमान हि. 1/4, नाथू 1/4, मंगल 1/4 पुत्रान प्रभात हि. 1/4–1/4 बराबर–बराबर समस्त जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 37/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर, 40/4 रकबा 0.6216 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5016 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
5. अशोक पुत्र गोपाल हि. 1/4, नंदलाल पुत्र गोपाल हि. 1/4, फूलचंद पुत्र गोपाल हि. 1/4 राहिन पीएनबी शाखा सरना डूंगर, बोदूराम पुत्र गोपाल हि. 1/4 समस्त जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 37/1 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 38/3 रकबा 0.1220 हैक्टेयर, 39/3 रकबा 0.9416 हैक्टेयर, 42/256/2 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3136 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
6. कानाराम पुत्र छोटूराम हि. 2/34, लच्छूराम पुत्र भूरा हि. 2/34, भगवान सहाय हि. 2/34, प्रकाश हि. 2/34, श्रवणलाल हि. 2/34, बोदूराम हि. 2/34, रामचंद्र हि. 2/34, रमेश हि. 2/34, लक्ष्मण हि. 2/34 पुत्रान सोनाराम, जगदीश हि. 2/34, हनुमान हि. 2/34, नाथू हि. 2/34, मंगल हि. 2/34 पुत्रान प्रभात, अशोक हि. 2/34, नंदलाल हि. 2/34, फूलचंद हि. 2/34, बोदूराम हि. 2/34 पुत्रान गोपाल समस्त जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन हि. समस्त जमाबंदी अनुसार के हिस्से खसरा नंबर 39/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 40/2 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 42/256/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई
(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)
पीठासीन अधिकारी : सुमन शर्मा
आर.ए.एस

लच्छूराम पुत्र श्री भूरा जाति अहीर निवासी चतरपुरा रोड खोराबीसल तहसील आमेर जिला जयपुर।

........वादी

बनाम

1. कानाराम पुत्र छोटूराम
2. गोपाल लाल पुत्र भूरा
3. हनुमान पुत्र प्रभात
4. जगदीश पुत्र प्रभात
5. नाथूराम पुत्र प्रभात
6. मंगल पुत्र प्रभात
7. प्रकाश पुत्र सोनाराम
8. बोदूराम पुत्र सोनाराम
9. भगवान सहाय पुत्र सोनाराम
10. रमेश पुत्र सोनाराम
11. रामचन्द्र पुत्र सोनाराम
12. लक्ष्मण पुत्र सोनाराम
13. श्रवण पुत्र सोनाराम
14. प्रकाश चन्द पुत्र कालूराम
15. राजेश पुत्र कालूराम
समस्त जाति अहीर निवासी ग्राम शुभरामपुरा तहसील आमेर जिला जयपुर।
16. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील आमेर जिला जयपुर।

........प्रतिवादीगण

वाद बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत – 53, 188 अन्तर्गत अधिनियम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम –1955

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निम्न प्रकार डिक्री किया जाता है:–

1. कानाराम पुत्र छोटूराम हि. संपूर्ण जाति अहीर, सा. देह खातेदार राहिन पी.एन.बी. शाखा सरना डूंगर के हिस्से खसरा नंबर 40/1 रकबा 0.35 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
2. लच्छूराम पुत्र भूरा हि. संपूर्ण जाति अहीर खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 38/2 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, 39/2 रकबा 0.3184 हैक्टेयर 40/[illegible] रकबा 0.1084 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.6768 हैक्टेयर भूमि रहेगी।
3. भगवान सहाय पुत्र सोनाराम हि. 1/7, प्रकाश पुत्र सोनाराम हि. 1/7 राहिन एचडीएफसी बैंक चौमूं, श्रवणलाल पुत्र सोनाराम हि. 1/7 राहिन एक्सीस बैंक चौमूं, बोदूराम पुत्र सोनाराम हि. 1/7 राहिन एक्सीस बैंक चौमूं, रामचंद्र पुत्र सोनाराम हि. 1/7, रमेश पुत्र सोनाराम हिस्सा 1/7, लक्ष्मण पुत्र सोनाराम हि. 1/7 राहिन पीएनबी शाखा बोयतावाला जयपुर समस्त जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 38/1 रकबा 1.8080

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

हैक्टेयर, 40/3 रकबा 1.10 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 2.9080 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

4. जगदीश हि. 1/4, हनुमान हि. 1/4 नाथू 1/4, मंगल 1/4 पुत्रान प्रभात हि. 1/4–1/4 बराबर–बराबर समस्त जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 37/2 रकबा 0.88 हैक्टेयर, 40/4 रकबा 0.6216 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.5016 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

5. अशोक पुत्र गोपाल हि. 1/4, नंदलाल पुत्र गोपाल हि. 1/4, फूलचंद पुत्र गोपाल हि. 1/4 राहिन पीएनबी शाखा सरना डूंगर, बोदूराम पुत्र गोपाल हि. 1/4 समस्त जाति अहीर सा. देह खातेदार के हिस्से खसरा नंबर 37/1 रकबा 0.0900 हैक्टेयर, 38/3 रकबा 0.1220 हैक्टेयर, 39/3 रकबा 0.9416 हैक्टेयर, 42/256/2 रकबा 0.1600 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 1.3136 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

6. कानाराम पुत्र छोटूराम हि. 2/34, लच्छूराम पुत्र भूरा हि. 2/34, भगवान सहाय हि. 2/34, प्रकाश हि. 2/34, श्रवणलाल हि. 2/34, बोदूराम हि. 2/34, रामचंद्र हि. 2/34, रमेश हि. 2/34, लक्ष्मण हि. 2/34 पुत्रान सोनाराम, जगदीश हि. 2/34, हनुमान हि. 2/34, नाथू हि. 2/34, मंगल हि. 2/34 पुत्रान प्रभात, अशोक हि. 2/34, नंदलाल हि. 2/34, फूलचंद हि. 2/34, बोदूराम हि. 2/34 पुत्रान गोपाल समस्त जाति अहीर सा. देह खातेदार राहिन हि. समस्त जमाबंदी अनुसार के हिस्से खसरा नंबर 39/1 रकबा 0.05 हैक्टेयर, 40/2 रकबा 0.22 हैक्टेयर, 42/256/1 रकबा 0.07 हैक्टेयर कुल किता 3 कुल रकबा 0.34 हैक्टेयर भूमि रहेगी।

तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं नक्शा निर्णय एवं डिक्री का अभिन्न अंग रहेंगे। उभयपक्ष को मुताबिक निर्णय अनुसार जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे एक दूसरे के हिस्से में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नही करेंगे। निर्णय एवं डिक्री की पालना हेतू तहसीलदार रामपुरा डाबडी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 16.07.2025 को जारी किया।

दस्तखत–––
ओहदा–––

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

मुद्दई	रुपये	पैसे	मुद्दायलेह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रुपये	—
स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रुपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मनामा	4 रुपये		बबत् इजराय हुक्मनामा	4 रुपये	
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान			मीजान		

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

उपर्युक्त पक्षकारों की उपस्थिति में भूमि का मुआयना मौका किया गया एवं राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम–1955 के नियम–18 से 21 के अनुसार निम्न प्रकार से विभाजन प्रस्ताव तैयार किये गये:–

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा (हैक्टे.)	किस्म	लगान
1	कानाराम पुत्र छोटूराम हि०–सम्पूर्ण जाति अहीर सा. डेह कोतेदार राहिन P.N.B. शाखा–सरकाड़ी	40/1	0.35		
	किता–	01	0.35		
2.	लच्छूराम s/o भूरा हि०–सम्पूर्ण जाति–अहीर	38/2 39/2 40/5	0.2500 0.3184 0.1084		
	किता–	03	0.6768		
3	भगवान सहाय पुत्र लोनाराम हि० 1/7, प्रकाश पुत्र लोनाराम (राहिन H.D.F.C.–चौमू) हि० 1/7, अवधलाल पुत्र लोनाराम हि० 1/7, मोटूराम पुत्र (राहिन एक्सिस बैंक–चौमू) (इण्डियन बैंक चौमू) लोनाराम हि० 1/7, रामचन्द्र पुत्र लोनाराम हि० 1/7 रमेश पुत्र लोनाराम हि० 1/7, लक्ष्मण पुत्र लोनाराम हि० 1/7 राहिन P.N.B. शाखा–जोबनेर (जयपुर) समस्त जाति अहीर सा. डेह कोतेदार	38/1 40/3	1.8080 1.10		
	किता–	02	2.9080		
4.	जगदीश 1/4 हनुमान 1/4 लाडू 1/4 मंगल 1/4 पुत्रान प्रभात हि० 1/4 – 1/4 निवासी–बराखा समस्त जाति–अहीर सा.डेह	37/2 40/4	0.88 0.6216		
	किता–	02	1.5016		
5.	अशोक पुत्र गोपाल हि० 1/4, नन्दलाल पुत्र गोपाल हि० 1/4 फूलचन्द पुत्र गोपाल हि० 1/4 राहिन P.N.B. शाखा–सरकाड़ी, मोटूराम पुत्र गोपाल हि० 1/4 समस्त जाति–अहीर सा.डेह	37/1 38/3 [illegible] 4[illegible]	0.0900 0.1220 [illegible].3416 [illegible]		
	[illegible]	04	[illegible].3136		
6.	कानाराम पुत्र छोटूराम हि० 2/34, लच्छूराम पुत्र [illegible] भगवानसहाय हि० 2/34, प्रकाश हि० 2/34, अवधलाल हि० 2/34, मोटूराम हि० 2/34 रामचन्द्र हि० 2/34, रमेश हि० 2/34, लक्ष्मण हि० 2/34 पुत्रान लोनाराम जगदीश हि० 2/34 हनुमान हि० 2/34, लाडू हि० 2/34, मंगल हि० 2/34 पुत्रान प्रभात, अशोक हि० 2/34, नन्दलाल हि० 2/34 [illegible] हि० 2/34, मोटूराम हि० 2/34 पुत्रान गोपाल समस्त जाति–अहीर सा.डेह राहिन हि० समस्त [illegible]	37/[illegible] 49/25[illegible]	0.22 0.07		
	किता–	[illegible]	0.34		

कानाराम

लच्छूराम

पूलचन्द

मंगल चन्द यादव

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

के पर अन्य मौतविरान को भी उक्त विभाजन प्रस्ताव पढ़ कर सुनाये गये और निम्नप्रकार हस्ताक्षर करवाये गयेः–

क्र.सं.	नाम	पिता का नाम	उम्र	जाति	वादी / प्रतिवादी
1.	लच्छुराम	पुत्र भूरा		जाति अहिर (यादव)	
2.	फूलचन्द	पुत्र गोपाललाल		—॥—	फूल चन्द
3.	भौइराम	पुत्र सोनाराम		—॥—	(हस्ताक्षर)
4.	कानाराम	पुत्र छोटुराम		—॥—	कानाराम
5.	हनुमान	पुत्र प्रभाल		—॥—	

मंगलचन्द यादव

तोलाराम

इस प्रकार आज दिनांक 30/04/25 को यह मौका रिपोर्ट तैयार की गई हैः–

हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	हस्ताक्षर	तहसीलदार
पटवारी	भू.अ.नि.	नायब तहसीलदार	तह. रामपुराडाबड़ी जिला, जयपुर
पटवार मण्डल	वृत खोरालीला		तहसीलदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

संलग्न प्रस्तावित नक्शा कुर्रेजात व जमाबन्दीः–

नकल नक्शा ग्राम - शुभरामपुरा तह०-रामपुरा डाबड़ी (जयपुर) पैमाना 1:4000

प्रस्तावित दुरुस्ती नक्शा

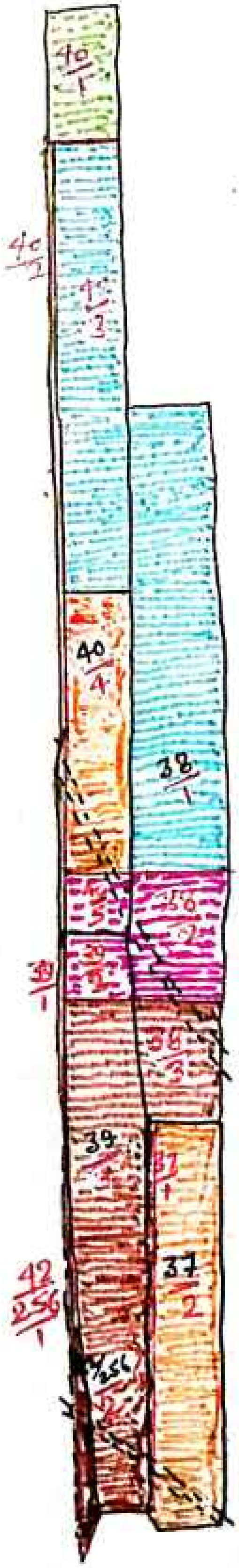

सामलाती (रास्ता)

कानाराम S/o बोदूराम

भगवानसहाय बोदूराम प्रकाश, रमेश, लहरन, श्रवणलाल, रामचन्द्र पुत्रान बोनाराम

जगदीश, हनुमान, नाथू, मंगल पुत्रान प्रभात

अशोक, नन्दलाल, फूलचन्द, बोदूराम पुत्रान गोपाल

छच्छूराम S/o भूरा

NTDR

तहसीलदार
तह. रामपुरा डाबड़ी जिला जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.07.31 13:58:29 IST
Reason: SelfAttested

ILR-